विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

315

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / शहडोल / भू0रा0 / 2018 / 2287

श्री डी० के० शुक्ला अभि०
द्वारा आज दिनांक 7-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 17-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्याज अहमद पुत्र स्व0 श्री निसार अहमद, निवासी – ग्राम सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0) —— आवेदक

बनाम

1. सरफराज अहमद पुत्र स्व0 श्री निसार अहमद
2. वसील पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासीगण– वार्ड नम्बर 13, बुडहार, जिला शहडोल (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

3. मध्यप्रदेश शासन

——औपचारिक पक्षकारगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2018 पारित द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला शहडोल (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 08 / / अ20(2) / 2009–10 से असंतुष्ट होकर।

(SHUKLA)
7/04/18

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यहकि, आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1920 / 3 रकवा 30 डिसमिल 0.121 हैक्टेयर, ग्राम सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, निसार अहमद पिता मोहम्मद नजीर के स्वत्व एवं आधिपत्य की आराजी थी, उन्होंने अपने जीवन में उक्त आराजी में से अपने 3 वारिसों की रजिस्टर्ड वसीयतनामा के जरिये से आराजी [redacted] दिया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/2287 न्याज अहमद विरूद्ध सरफराज व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री वी.के. शुक्ला उपस्थित । आवेदक के द्वारा नजूल अधिकारी जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 08/अ-20(2)/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 24-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-04-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नजूल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इंस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

21-01-19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य